मुन्तकिली प्रकरण सं0 62/2019 (RCMS 2019/00107) अनवानी 1. सुशील सांई पुत्र श्री सुरेन्द्र सांई जाति जाट आयु 35 वर्ष निवासी गांव 18 जीजी गोविन्दपुरा, डाकखाना खास तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. मुकेश बारेठ, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर 2. अमन गोयल पुत्र श्री राधेश्याम गोयल जाति अग्रवाल आयु 30 साल निवासी मकान नं. 01, सदर बाजार, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.06.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी एवं अप्रार्थी संख्या 2 श्री अमन गोयल की ओर से श्री जितेन्द्र पराशर अधिवक्ता ने उपस्थिति मीमो पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायलय सहायक कलेक्टर, फास्ट ट्रेक, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित एक राजस्व वाद संख्या 29/2019 अनवानी सुशील साई बनाम अमन गोयल व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 18/2019 अनवानी सुशील सांई बनाम अमन गोयल अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 235 के तहत दिनांक 20.05.2019 को पेश किया हुआ है।

उनका आगे कथन है कि उक्त वाद के साथ प्रस्तुत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 09.5.2019 को पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस सुनी गई और बहस के उपरान्त दिनांक 10.05.2019 आदेश के लिए निश्चित कर दी गई किन्तु 10.05.2019 को अप्रार्थी बार–बार अधीनस्थ न्यायालय में चक्कर लगा रहा था तथा पीठासीन अधिकारी से मिलने की चेष्टा में था तब प्रार्थी को संदेह हुआ। अप्रार्थी पीठासीन अधिकारी से मिलने के बाद बड़ी जल्दी से अपने अधिवक्ता के पास गया और प्रार्थना पत्र अपने पक्ष में होने की जानकारी दी जिस पर अप्रार्थी के अधिवक्ता ने राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में कैविएट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसने अधीनसथ न्यायालय

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

द्वारा प्रार्थी का धारा 212 का प्रार्थना पत्र निरस्त करना बताया है जबकि प्रार्थी को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं दी गई है और न ही निर्णय किया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2019 को निर्णय न करके 21.05.2019 पेशी आदेश के नियत कर दी है। जिससे प्रार्थी को अप्रार्थीगण के उक्त आचरण से यह अभास हो गया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट का निर्णय अप्रार्थी के पक्ष में ही होगा। इसलिए न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण को किसी अन्य पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में मुंतकिल किया जाये।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में भी एक वाद सिविल न्यायालय में पेश कर रखा है और उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद में भी एक पक्षीय अस्थाई स्थगन आदेश प्रार्थी के पक्ष में जारी किया हुआ है जो विधिसम्मत् नहीं है जिसका निर्णय होना शेष है और प्रार्थी ने उक्त प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने के लिए यह आधारहीन मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज करने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई कैविएट के आधार पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जा रही कार्यवाही पर आशंका जाहिर करना उचित नहीं है। इस प्रार्थना से पीठासीन अधिकारी का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित मूल वाद में अभी तनकीयात बनाई जानी शेष है और उसके पश्चात दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर ही वाद का निस्तारण होगा और वाद में अभी कोई निर्णय की स्टेज नहीं

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

है। ऐसी दशा में अप्रार्थी का यह कथन कि उसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा, सही नहीं है। केवल मात्र जानबूझकर प्रकरण को लम्बा करने की नियत से और अस्थाई स्थगन आदेश के खारिज के भय से ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, अतः मुंतकिल प्रार्थना खारिज करने योग्य है।

मैने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया और सहायक कलक्टर फास्ट्र टैक की टिप्पणी दिनांक 29.05.2019 एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद संख्या 29/2019 अनवान सुशील सांई बनाम अमन गोयल व विविध प्रकरण संख्या 18/2019 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 के प्रकारण सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक के न्यायालय में लम्बित है जिसमें प्रार्थी ने अप्रार्थी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किये गए कैविएट प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय से उक्त लम्बित प्रकरणों में निष्पक्ष न्याय न मिलने की आशंका के आधार पर यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रैक ने अपने टिप्पणी दिनांक 29.05.2019 में खण्डन करते हुए उक्त प्रकरणों को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु कोई आपत्ति न होना जाहिर किया है। अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार टी.आई. के प्रार्थना पत्र पर निर्णय हेतु दिनांक 10.05.2019 नियत थी किन्तु पीठासीन अधिकारी के अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण उक्त प्रकरण में दिनांक 21.05.2019 नियत कर दी गई और मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश होने पर निर्णय हेतु दिनांक 04.06.2019 निश्चित है। अप्रार्थी के अधिवक्ता के कथनानुसार प्रार्थी के पक्ष में एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी है जिसे प्रार्थी अभिभाषक भी स्वीकारते है। जिसका अन्तिम निर्णय होना शेष है और प्रार्थी द्वारा उक्त स्थगन आदेश के निरस्त हो जाने की **मात्र आशंका के आधार पर ही यह मुंतकिल**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत कैविएट प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरणों को मुंतकिली का भी आधार बनाया है। उक्त कैविएट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में पीठासीन अधिकारी की कोई संलिप्तता नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी पक्षकार कैविएट प्रार्थना पत्र लगाने अथवा ना लगाने के लिए स्वतन्त्र है। अभी मूल वाद में पक्षकारों के खिलाफ तनकीयात करवाई जानी व दोनों पक्षों का साक्ष्य शेष है। इसलिए मूल दावे के निस्तारण की भी अभी कोई स्टेज नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा मुकद्दमा मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी सुशील साई द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । आदेश की प्रति सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मॉजस्ट्रेट
श्री गंगानगर